"हर काम देश के नाम"
कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक
उलान बटार मार्ग , पालम, दिल्ली छावनी-110010
OFFICE OF CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS
ULAN BATAR MARG, PALAM, DELHI CANTT. -110010
दूरभाष/Ph: 011-25665500/55, 25674870 ई-मेल/Email : hqan2.cgda@gov.in वेबसाइट/website : http://cgda.nic.in

सं. प्रशा/2/2407/आर्थिक कार्य विभाग

दिनांक: 14.12.2020

सेवा में

सभी प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक (including PIFA/IFA)/ प्रशा (वेतन) अनुभाग,
मुख्यालय कार्यालय

(**CGDA वेबसाइट के माध्यम से**)

विषय: वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 7 वें वेतन आयोग के लेवल-11 में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (बजट और लेखा) के पद को भरना

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली परिपत्र सं. ए.12011/03/2020-प्रशा0-I ए दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 (**प्रति संलग्न है**) द्वारा उप निदेशक (बजट और लेखा) पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन माँगा गया है।

2. योग्य एवं इच्छुक वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी अपना आवेदन (उचित माध्यम द्वारा) भेज सकते हैं। मुख्यालय कार्यालय में आवेदन पहुँचने की अंतिम तिथि दिनांक **21.12.2020** है। साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि आवेदन के साथ पिछले पाँच वर्षों की attested गोपनीय रिपोर्ट (APAR) डोजियर भी प्रेषित किया जाए।

(डॉ. अमित गुप्ता)
रक्षा लेखा व. उप महानियंत्रक (प्रशा)

**प्रतिलिपि**:

IT & S अनुभाग (स्थानीय) - कृपया CGDA वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. अमित गुप्ता)
रक्षा लेखा व. उप महानियंत्रक (प्रशा)

सं.ए.12011/03/2020-प्रशा0-Iए
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

कमरा सं. 230, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिनांक: 31 अक्तूबर, 2020

परिपत्र

**विषयः वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 7वें वेतन आयोग के लेवल-11 में प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सशस्त्र बल कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति आधार पर उप निदेशक (बजट और लेखा) के पद को भरना।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 7वें वेतन आयोग पे मेट्रिक्स के लेवल-11 में **उप निदेशक (बजट और लेखा)** के दो पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। **उप निदेशक (बजट और लेखा)** के पद पर भर्ती हेतु पात्रता संबंधी शर्तों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

2. अनुरोध है कि ऐसे पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें चयन हो जाने पर कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) **अनुलग्नक-II** में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित, रोजगार समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से **60 दिनों के भीतर** इस विभाग को अग्रेषित कर दिए जाएं:

(i) पिछले पाँच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों सहित गोपनीय रिपोर्ट डोजियर। यदि गोपनीय रिपोर्ट डोजियर की फोटोकापी भेजी जाए तो उन्हें कम से कम अवर सचिव, भारत सरकार के स्तर के अधिकारी से विधिवत सत्यापित करवा कर भेजा जाए। (प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापन)
(ii) सतर्कता/अनुशासनिक अनापत्ति।
(iii) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।
(iv) पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई छोटी/बड़ी शास्ति दर्शाने वाला विवरण। सूचना "शून्य" होने पर भी विवरण अपेक्षित है।
(v) संवर्ग अनापत्ति।

3. अपूर्ण, उचित माध्यम से न भेजे गए तथा उपर्युक्त दस्तावेजों से रहित तथा निश्चित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अभ्यार्थी को एक बार आवेदन करने के पश्चात् बाद में अपना आवेदन वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संजीव
(संजीव गुप्ता)
**अवर सचिव, भारत सरकार**

**प्रतिलिपिः**

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. वित्तीय क्षेत्र प्रभाग सहित वित्त मंत्रालय के सभी विभाग।
3. संगठित लेखा संवर्ग के निम्नलिखित कार्यालयों के सभी प्रमुख।
   (i) सीजीडीए का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, जी ब्लाक, डीएचक्यू, पी.ओ., नई दिल्ली-1
   (ii) उप महानिदेशक (पीएएफ), डाक विभाग, कमरा सं. 405, डाक भवन, दिल्ली।
   (iii) उप महानिदेशक (लेखा), दूर-संचार विभाग।
   (iv) लेखा महानियंत्रक, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-3, और
   (v) वित्त आयुक्त, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. सहायक संपादक (विज्ञापन), रोजगार समाचार पत्र, प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 7वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि रोजगार समाचार के आगामी अंक में उपरोक्त रिक्ति परिपत्र को प्रकाशित कर दें। यह बिल श्री संजीव गुप्ता, अवर सचिव, कमरा सं. 241-ई, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित किया जाए।
5. वित्त पुस्तकालय
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी)। अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को इंटरनेट और ऑन लाइन नोटिस बोर्ड पर भी जारी करें।
7. अतिरिक्त प्रतियाँ-15

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पद का नाम | **उप निदेशक (बजट और लेखा)** |
| 2. | पदों की संख्या | दो |
| 3. | वर्गीकरण | सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी 'क' , राजपत्रित, |
| 4. | मंत्रालय/विभाग | वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग |
| 5. | वेतनमान | 7वां वेतन आयोग पे मेट्रिक्स का लेवल-11 |
| 6. | नियुक्ति की पद्धति | प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सशस्त्र बल कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति |
| 7. | पात्रता | |

**प्रतिनियुक्ति**

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारियों में से:

**क.** (i) जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सद्दश पद पर हों; अथवा

(ii) जो पे मेट्रिक्स के लेवल-10 अथवा लेवल-9 में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर दिए गए ग्रेड अथवा मूल संवर्ग में समतुल्य पद पर पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; अथवा

(iii) जो पे मेट्रिक्स के लेवल-8 में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर दिए गए ग्रेड में अथवा मूल संवर्ग में समतुल्य पद पर छह वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

**ख.** निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव, नामतः-

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री; और

(ii) किसी विभाग के वित्त अथवा बजट अथवा लेखा प्रभाग में पांच वर्ष का अनुभव

**सशस्त्र सेना कार्मिक का पुनर्नियोजनः-**

सशस्त्र सेना कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाला है अथवा जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जिनके पास वांछित अनुभव और निर्धारित योग्यता है, उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति शर्तें दी जाएंगी जिस तिथि पर वे सशस्त्र बलों से रिलीज किया जाएगा; उसके बाद उन्हें पुनः नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।

टिप्पण 1- केवल केंद्र अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी आमेलन हेतु पात्र हैं।

टिप्पण 2- फीडर वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जिनकी सीधी पदोन्नति हेतु पात्रता है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से प्रतिनियुक्ति वाले पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3- केंद्र सरकार के समान अथवा अन्य कोई संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि पर 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।